

कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 19/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री श्री भीमसिंह मेधवाल, सामाजिक एवं आर.
टी.आई. कार्यकर्ता वी.पी.ओ. झांसल, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ।
—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ।

—प्रत्यार्थी

आदेश

दिनांक:—17.04.2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के विरुद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित नहीं। अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ से मांगी गई सूचना नहीं मिलने पर अपीलार्थी द्वारा सूचना दिलवाने हेतु यह अपील की गई है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ से पत्र क्रमांक 429 दिनांक 27.03.2018 द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित किया जाना पाया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के उक्त पत्र के साथ संलग्न पत्र क्रमांक 149 दिनांक 23.01.2018 की फोटो कापी का अवलोकन करने से उनके द्वारा अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा को अंतरित करते हुए जिसकी सूचना अपीलार्थी को प्रेषित किया जाना पाया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर उनके विरुद्ध पंचायत समिति भादरा के सक्षम लोक सूचना अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील करने के लिए स्वतंत्र है। अपीलार्थी को इस अपील में कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। उक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति दोनों पक्षों को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ